कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 18c / FP/UK/OTHER/41466/2019 :देहरादूनः दिनांकः 05 जुलाई, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –866/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल स्टेडियम निर्माण हेतु 2.848 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु खेल विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/09/12/2021/ एफ0सी0/2483 दिनांक 17.03.2021।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–5727/12–1 (2) दिनांक 23.06.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–5727/12–1 (2) दिनांक 23.06.2022 अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः–	
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.696 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कालापैर कापड़ी में 5.20 हे0 खसरा नं0 1 एवं हरकोट में 0.496 है0 खसरा नं0 1 सिविल सोयम में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।		क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि सिविल सोयम भूमि कालापैरकापड़ी 5.20 है0 व हरकोट में 0.496 है0 प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मु0 21,12,658.00 ऑनलाईन कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जा सकेगा।
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जना आवश्यक है		वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कालापैरकापड़ी 5.20 है0 व हरकोट में 0.496 है0 सिविल भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक सख्या 101/छब्बीस–14 वन/2018–19 दिनांक 21.04.2022 से वन विभाग के पंक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित स्वीकृति प्रदान करा दी गयी है। उक्त भूमि का खसरा खतौनी में स्वाामित्व वन विभाग के नाम पर दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। (संलग्नकः–01)

	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र कालापैर कापड़ी 5.20 है0 व हरकोट में 0.496 है0 भूमि में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नकः–02)**
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**	
	(क) इस सम्बन्ध मे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.848 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 18,71,136.00 (अठारह लाख इकहत्तर हजार एक सौ छतीस मात्र) 2.848 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। **(संलग्न–3)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 trees होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 trees न्यून्तम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।**(संलग्न–4)**
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कुल धनराशि मु0 39,83,794 ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
7	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के कम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)
8	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्न–5)**
9	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया

	अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा के क्रम मे पूर्व से ही प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
10	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्धन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्धन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोंजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिरत एवं	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह आनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोंजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिरत एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवें को यथा स्थान रखने हेतु

	पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवें को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है। तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, अल्मोड़ा उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्या– 180 / FP/UK/OTHER/41466/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–5727/12–1 (2) दिनांक 23.06.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।